

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:-07/वि०शा०/मु०याँ-02-30/2019-42/19-20 प० स्वी०

/राँची, दिनांक:-19.09.19

प्रेषक:

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिन्, राँची।

द्वारा: अन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय:- सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची अन्तर्गत सुरंगी जलाशय योजना के गेटों का मरम्मत एवं सम्पोषण कार्य हेतु रु० 8.36 लाख (आठ लाख छत्तीस हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

1. सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची अन्तर्गत सुरंगी जलाशय योजना के गेटों का मरम्मत एवं सम्पोषण कार्य हेतु रु० 8.36 लाख (आठ लाख छत्तीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसके अन्तर्गत निम्न कार्य कराये जायेंगे :-

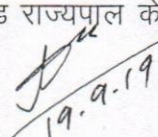
सुरंगी जलाशय योजना के चार गेटों का वायर रोप एवं रबर सील बदलने का कार्य तथा उत्तोलन प्रणाली के ओभर हॉलिंग का कार्य प्रस्तावित है।

उक्त प्रस्तावित सभी कार्य का अवयववार वित्तीय विवरणी निम्नवत है :-

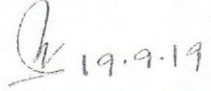
Sl.No	Components	Amount (in Rs.)
1	Supply, fitting and fixing of wire rope of diameter 20 mm.	197771.12
2	Supplying, fitting and fixing of Rubber Seal.	128963.44
3	Supply, fitting and fixing of S.S. seal clamp plate.	268018.76
4	Others	136915.64
Total		731668.96
GST@12% of item no 01 to 04		87800.27
Total		819469.23
Labour Cess@1%		8194.00
Contingency @1%		8194.00
Grand Total :-		835857.23
Say		836000.00

3. इस कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता (यॉत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
4. इस कार्य पर होने वाला व्यय :-
मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उपशीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।
5. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम '300 का अनुपालन दृढता से किया जायेगा।
6. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जायेगी।
7. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
8. इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रारम्भ करके एक वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।
9. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
10. प्रावधानित लौह सामग्रियों में से निकलने वाले लौह सामग्रियों का 40% राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा करना होगा।
11. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।
13. कार्य कराने वाली Agency द्वारा ही कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त अगले तीन (03) वर्षों तक Repair & Maintenance कराया जाएगा।
14. कार्य के निविदा निस्तारण के क्रम में विभागीय पत्रांक-3112, दिनांक-14.06.2019 की कंडिका-6.11 में निर्धारित समय सीमा का दृढता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

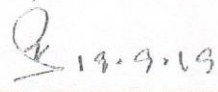
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,


19.9.19
(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

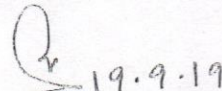
पत्रांक:-07/वि०शा०/मु०याँ-02-30/2019-42/19-20 प्र० स्वी० /राँची, दिनांक:-19.09.19
प्रतिलिपि: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

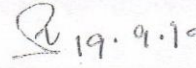
पत्रांक:-07/वि०शा०/मु०याँ-02-30/2019-42/19-20 प्र० स्वी० /राँची, दिनांक:-19.09.19
प्रतिलिपि: कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

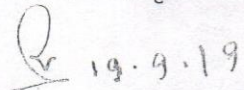
पत्रांक:-07/वि०शा०/मु०याँ-02-30/2019-42/19-20 प्र० स्वी० /राँची, दिनांक:-19.09.19
प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख-I/II, जल संसाधन विभाग, राँची/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता (याँत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/ अधीक्षण अभियंता, सिंचाई याँत्रिक अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, राँची/अधीक्षण अभियंता योजना, मोनटरिंग एवं आयोजन अंचल-1/2/3 राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:-07/वि०शा०/मु०याँ-02-30/2019-42/19-20 प्र० स्वी० /राँची, दिनांक:-19.09.19
प्रतिलिपि: आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:-07/वि०शा०/मु०याँ-02-30/2019-42/19-20 प्र० स्वी० /राँची, दिनांक:-19.09.19
प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनटरिंग प्रमंडल सं०-3, राँची को प्रशासनिक स्वीकृति On-line करने हेतु प्रेषित।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव